**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**
**2024 का आपराधिक विविध वाद सं. 50553**

थाना मामला सं.-2540 वर्ष-2024 थाना- पटना शिकायत मामला जिला- पटना, से उत्पन्न

==========

1. टी. वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट, सर्कस, नई दिल्ली-110001 में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री एम. एन. नासिर कबीर उर्फ मोहम्मद नुरुल नासिर कबीर, पुत्र- स्वर्गीय मोहम्मद नुरुल नासिर कबीर, टावर 5-802, एम्मार पाम टेरेस सेलेक्ट, गोल्फ कोर्स एक्स्ट रोड बादशाहपुर, सेक्टर-66, साउथ सिटी-2, थाना-बादशाहपुर, जिला-गुडगांव, हरियाणा, पिन कोड संख्या-122018 के निवासी के माध्यम से।

2. अरुण पुरी, पुत्र-स्वर्गीय वी.वी.पुरी, अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक, टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड, निवासी- हाउस नंबर 6, पालम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057।

... ...याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. विधि सचिव, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य

2. श्री राजीव रंजन सिंह @ललन सिंह, पुत्र- स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद, निवासी- "मां सदन", बी-85, बुद्ध कॉलोनी, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड, थाना-बुद्ध कॉलोनी, जिला-पटना, बिहार, पिन कोड-800001।

... ... विपक्षी दल/ओं

==========

**उपस्थिति** :

| | | |
|---|---|---|
| याचिकाकर्ताओं के लिए | : | श्री अंसुल, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | | श्री ऋषिकेश बरुआ, अधिवक्ता |
| | | श्री राजेश रंजन, अधिवक्ता |
| | | मो. फारूक, अधिवक्ता |
| | | सुश्री मारिया नजीर, अधिवक्ता |
| विरोधी पार्टी सं. 1 के लिए | : | श्री पी. के. शाही, महाधिवक्ता |
| | | श्री झारखंडी उपाध्याय, एपीपी |
| विरोधी पार्टी सं. 2 के लिए | : | श्री गोपाल सिंह, अधिवक्ता |
| | | श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता |

==========

*दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 482---रद्द करना---भारतीय दंड संहिता---धारा 499, 500, 120-बी---आईपीसी की धारा 500, 120-बी के तहत अपराध का संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका---याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने समाचार चैनल पर शिकायतकर्ता/ओपी नंबर-2, एक प्रमुख राजनेता के खिलाफ मानहानिकारक समाचार प्रसारित किया है---याचिकाकर्ता नंबर 1 एक "कंपनी" है जिसके तहत "आज तक" समाचार चैनल ने ओपी नंबर 2 के बारे में कथित मानहानिकारक समाचार प्रसारित किया, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2 निस्संदेह याचिकाकर्ता नंबर 1 के संपूर्ण मामलों को नियंत्रित करने वाला "प्रबंध निदेशक" है।*

*निष्कर्ष: कथित तौर पर मानहानिकारक प्रकृति की खबर ने प्रथम दृष्टया ओ.पी. नंबर 2 की छवि को धूमिल किया और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से उनकी प्रतिष्ठा और ख्याति को कम किया---"डील" शब्द का निश्चित रूप से यह अर्थ है कि ओ.पी. नंबर 2 ने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए एक सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जब यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में आई, तो उन्हें जेडी(यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, जो एक गलत तथ्य था, और प्रथम दृष्टया पार्टी में और सार्वजनिक रूप से*

*भी ओ.पी. नंबर 2 की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया---याचिकाकर्ताओं द्वारा "इरादे से इनकार" को "माफी मांगने" के बराबर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कहा गया था---"इरादे की अनुपस्थिति" का निर्णय परीक्षण का विषय है---अपवाद साबित करने का भार भी हमेशा दावेदारों पर होता है, इस मामले में यह दोनों याचिकाकर्ताओं पर है, जिसे कानूनी रूप से केवल परीक्षण के दौरान ही मुक्त किया जा सकता है---संज्ञान लेने वाले आदेश में कोई कमी नहीं है---याचिका बर्खास्त. (पैरा 59-62, 65-67)*

*(2024) 1 एससीसी 797, (2019) 17 एससीसी 193, 1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335*

*..... **संदर्भित।***

==========

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश**

==========

**समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा**

**कैव जजमेंट**

**दिनांक: 24-03-2025**

वर्तमान आवेदन याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायत मामला संख्या 2540(सी) वर्ष 2024 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा पारित दिनांक 02.04.2024 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत विद्वान क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1890 की धारा 500 ए (यह गलत टाइप किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसी कोई धारा भारतीय दंड संहिता में मौजूद नहीं है) और धारा 120-बी (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया है और उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है।

2. याचिकाकर्ता सं.1 यह एक कंपनी है, जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित किया गया है और इसका प्रतिनिधित्व इसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री नसीर कबीर के माध्यम से किया जाता है। याचिकाकर्ता सं.2 वह भारत का नागरिक है, जो टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड का अध्यक्ष और निदेशक है। याचिकाकर्ता सं. 2 वे भारत के विश्वसनीय और विविध मीडिया में से एक के प्रमुख हैं, जो कई पत्रिकाएँ और एक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करता है। उपरोक्त समूह के पास चार टीवी समाचार चैनल, एक रेडियो चैनल और भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक मुद्रण संयंत्र भी है। याचिकाकर्ता सं.2 की भूमिका नीतिगत निर्णय लेना है। उन्हें दैनिक समाचार प्रसारण से कोई सरोकार नहीं है। याचिकाकर्ता सं.2 यह किसी भी तरह से समाचार प्रसारण के चयन, प्रकाशन, प्रसार और वितरण से जुड़ा नहीं है।

**<u>ओ. पी. संख्या 2 द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और परिस्थितियाँः</u>**

(i) 29.12.2023 पर, जनता दल (यूनाइटेड) [संक्षेप में 'जद (यू)'] - एक राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी। यह बताना प्रासंगिक है कि ओ. पी. नंबर 2 (शिकायतकर्ता) उपरोक्त जे. डी. (यू) का राष्ट्रीय अध्यक्ष 31.07.2021 से 29.12.2023 तक था।

(ii) 29.12.2023 पर, उपरोक्त जद (यू) पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक घटना सामने आई, जिसमें ओ. पी. नंबर 2 को कथित रूप से जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। यह दावा किया जाता है कि शिकायतकर्ता (ओ. पी. नंबर 2) तब से श्री लालू प्रसाद यादव के करीबी बन/हो गए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वे एक श्री तेजस्वी यादव को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालाँकि, आधिकारिक प्रदत्त विवरण यह है कि ओ. पी. नंबर

2/शिकायतकर्ता ने कथित रूप से व्यक्त किया कि वह जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। नतीजतन, श्री नितीश कुमार (बिहार के मुख्यमंत्री) को जद (यू) का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस तथ्य को विभिन्न समाचार पत्रों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट्स के साथ-साथ सोशल मीडिया हैंडल में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है।

(iii) उपरोक्त विकास के परिणामस्वरूप, समाचार चैनल "आजतक" में एक बहस आयोजित की गई कि ओ. पी. नंबर 2 को उक्त पद से क्यों हटाया गया। उक्त बहस की मेजबानी श्रीमती चित्रा त्रिपाठी ने की थी। इस बहस में श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भारतीय जनता पार्टी), श्री जी. एम. शाहीन (जद (यू) के प्रदेश अध्यक्ष), श्री अभिषेक यादव (राष्ट्रीय जनता दल), आचार्य प्रमोद कृष्णम (राजनीतिक विश्लेषक), श्री धीरेंद्र कुमार (लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)) और श्री सुजीत झा (संपादक, टीवी टुडे नेटवर्क) सहित विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(iv) उक्त समाचार प्रसारण ने राजनीतिक दलों के सभी वर्गों का दृष्टिकोण लिया था। बहस के दौरान, एक सवाल, जो उठाया गया था कि श्री नितीश कुमार (बिहार के मुख्यमंत्री) को अपने दूसरे स्तर के नेताओं पर भरोसा क्यों नहीं है, जहां शुरू में श्री सुजीत झा ने बताया था कि कुछ दिन पहले जद (यू) के लगभग 12 विधायकों के साथ शिकायतकर्ता (ओ. पी. नंबर 2) की बैठक हुई थी और यह उक्त बैठक के कारण उन्हें उक्त पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है।

(v) इसके बाद, श्रीमती चित्रा त्रिपाठी (मेजबान) और श्री रोहित कुमार सिंह (संपादक और टीवी टुडे नेटवर्क के बिहार ब्यूरो प्रमुख) के बीच बातचीत हुई। उक्त बातचीत में श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि ओ. पी. नंबर 2 (शिकायतकर्ता) ने

कुछ समय पहले एक बैठक की थी और उक्त बैठक में 12 विधायक थे। इसमें आगे कहा गया है कि एक विधायक ने आगे जाकर श्री नितीश कुमार को उक्त घटना के बारे में सूचित किया था और इसलिए यह कार्रवाई की गई है। इसके बाद, बहस शुरू होती है और एक आचार्य प्रमोद कृष्णम (राजनीतिक विश्लेषक) भी इस जानकारी (यानी शिकायतकर्ता के साथ 12 विधायकों के साथ बैठक के बारे में) की पुष्टि करते हैं। इसलिए, यह दावा कि शिकायतकर्ता ने राजद को अपना समर्थन स्थानांतरित करने के उद्देश्य से 12 विधायकों से मुलाकात की थी, संदेह के दायरे से बाहर है। इस मामले की किसी भी स्थिति में, श्री रोहित कुमार सिंह ने विभिन्न व्यक्तियों से केवल विचार प्राप्त किए थे। यह बताना प्रासंगिक है कि जनता दल (यूनाइटेड) के प्रदेश अध्यक्ष श्री जी. एम. शाहीन पूरी बहस के दौरान मौजूद थे और उन्होंने कोई विवाद नहीं उठाया।

(vi) इसके बाद, संकीर्ण राजनीतिक लाभ के कारण ओ. पी. संख्या 2 ने वास्तविक तथ्यों के विपरीत एक कानूनी नोटिस जारी किया था। ओ. पी. संख्या 2 द्वारा दिनांकित 05.01.2024 की उक्त कानूनी नोटिस में, यह दावा किया गया है कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी और याचिकाकर्ता से/को ऐसी बैठक को साबित करने के लिए कहा गया था।

(vii) इसके जवाब में, वर्तमान याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से दिनांक 15.01.2024 के जवाब के माध्यम से उक्त कानूनी नोटिस का जवाब दिया था। उक्त उत्तर के माध्यम से, यह विशेष रूप से इंगित किया गया था कि उक्त समाचार विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने के बाद प्रकाशित किया गया था। यह भी बताया गया कि एक ही/वही रिपोर्ट कई मीडिया संगठनों द्वारा प्रकाशित की गई है, जो रिपोर्ट को विश्वसनीयता प्रदान करती है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, ओ. पी. संख्या 2 ने उक्त जवाब से असंतुष्ट होकर, 2024 का वर्तमान शिकायत मामउपरोक्त पृष्ठभूमि में, ओ.पी. संख्या 2 ने उक्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट होकर, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना के समक्ष वर्तमान परिवाद वाद संख्या 2540 (सी) वर्ष 2024 दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सभी अभियुक्तगणों ने एक दूसरे के साथ मिलीभगत और षडयंत्र करके दिनांक 29.12.2023 को एक समाचार प्रसारित किया, जिसमें कहा गया कि ओ.पी. संख्या 2 तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उनके द्वारा श्री नीतीश कुमार को प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि ओ.पी. संख्या 2/परिवादी ने आजतक चैनल पर दिखाए गए प्रसारण की प्रतिलिपि का उल्लेख किया है। परिवाद याचिका में आगे यह भी आरोप लगाया गया कि समाचार प्रसारण के समय, यह कहा गया कि उनकी 12 विधायकों के साथ गुप्त बैठक हुई थी और उनकी योजना तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की थी। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों विशेष रूप से सुश्री चित्रा त्रिपाठी और रोहित कुमार ने 29.12.2023 को झूठी और मनगढ़ंत खबर प्रसारित की है, क्योंकि उन्होंने कभी भी 12 विधायकों के साथ ऐसी बैठक नहीं की है और उन्होंने श्री नीतीश कुमार पर कोई प्रस्ताव नहीं रखा। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि समाज में उनकी बहुत उच्च प्रतिष्ठा है और आजतक चैनल पर कथित समाचार प्रसारण के कारण उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उनकी छवि खराब हुई।

**याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्कः**

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंसुल ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 05.03.2024 को शिकायतकर्ता के गवाह संख्या 1 अर्थात् श्री रामानंद मंडल का बयान दर्ज किया गया, जबकि शिकायतकर्ता के गवाह संख्या 2

अर्थात् श्री सौरव निधि का बयान दिनांक 11.03.2024 को वर्तमान शिकायत याचिका की जांच के दौरान दर्ज किया गया, जहां इन बयानों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इनमें से किसी भी जांच गवाह का बयान दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 200 के अनुसार दर्ज नहीं किया गया। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया कि ये बयान शिकायतकर्ता के वकील द्वारा गवाह के रूप में दर्ज किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे बयानों को आरोपी व्यक्तियों को बुलाने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 02.04.2024 का विवादित आदेश आई. पी. सी. की धारा 500ए और 120-बी के तहत अपराधों के लिए *प्रथम दृष्टया* मामला बनाने के लिए कोई कारण बताने में विफल रहा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिना कारण का कोई भी आदेश कानून की नजर में कोई आदेश नहीं है और इसलिए, इसे रद्द/अलग किया जाना उचित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय याचिकाकर्ताओं की *प्रथम दृष्टया* संलिप्तता और उनके खिलाफ आरोपों की जांच करने में विफल रही है।

6. श्री अंसुल ने आगे कहा कि संज्ञान जल्दबाजी में और बहुत ही यांत्रिक तरीके से लिया गया था, जिससे यह आसानी से समझा जा सकता है कि संज्ञान आईपीसी की गैर-मौजूद धारा यानी आईपीसी की धारा 500 ए के लिए लिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायत के तहत उपलब्ध आरोप/सामग्री आईपीसी की धारा 499 के अर्थ में परिभाषित मानहानि का *प्रथम दृष्टया* अपराध नहीं बनाती है, क्योंकि आरोपित समाचार प्रसारण के संबंध में याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ एक शब्द भी नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में सिविल मामलों की तरह प्रतिनिधिक दायित्व की अवधारणा उपलब्ध नहीं है। अपने तर्क के

समर्थन में श्री अंसुल ने कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 2 की विवादित समाचारों के चयन, साथ ही उनके संचार और उसके परिणामस्वरूप प्रसार में कोई भूमिका नहीं है, इसलिए विवादित शिकायत और जारी की गई प्रक्रिया न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे रद्द/रद्द किया जाना उचित है।

7. उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जो **मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य (2008) 5 एससीसी 668** के माध्यम से उपलब्ध है, जिसमें यह निम्नानुसार माना गया है:-

> "13. जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) या धारा 200 के अनुसार दायर की गई शिकायत याचिका पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, मजिस्ट्रेट को अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता में कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशकों की ओर से प्रतिनिधिक दायित्व संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है, जब अभियुक्त कंपनी है। विद्वान मजिस्ट्रेट अपने आप से सही प्रश्न पूछने में विफल रहे, अर्थात क्या शिकायत याचिका, भले ही अंकित मूल्य पर दी गई हो और पूरी तरह से सही मानी गई हो, इस निष्कर्ष पर ले जाएगी कि इसमें ओ.पी. किसी भी अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी थे। बैंक एक निगमित निकाय है। प्रबंध निदेशक और निदेशक की प्रतिनिधिक देयता उत्पन्न होगी बशर्ते कि क़ानून में इस संबंध में कोई प्रावधान मौजूद हो। क़ानून में निर्विवाद रूप से ऐसी प्रतिनिधिक देयताओं को तय करने का प्रावधान होना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए भी, शिकायतकर्ता के लिए आवश्यक आरोप लगाना अनिवार्य है, जो प्रतिनिधिक देयता का गठन करने वाले प्रावधानों को आकर्षित करेगा।"

8. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत में किए गए कथन अस्पष्ट और असत्यापित अस्पष्ट और निराधार हैं और याचिकाकर्ता सं.2 को अभियुक्त व्यक्ति के रूप में दंडित करने का आधार नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता सं. 2 के खिलाफ ओ.

पी. सं. 2 द्वारा मानहानि के किसी भी स्पष्ट कार्य का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है।

9. इस निवेदन के समर्थन में, श्री अंसुल ने **नीलू चोपड़ा बनाम भारती** जिसे **(2009) 10 एस. सी. सी. 184** के रूप में रिपोर्ट किया गया है, के माध्यम से उपलब्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "एक उचित शिकायत दर्ज करने के लिए, केवल धाराओं और उन धाराओं की भाषा का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होगा। जो अदालत के संज्ञान में लाए जाने की आवश्यकता है, वह कारित अपराध के विवरण और और उस अपराध के निष्पादन में प्रत्येक और हर आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका है।" माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका के विनिर्देशन के बिना अस्पष्ट और अविवादित तथ्यों के मामले में, न्यायालय कार्यवाही को रद्द कर देगा।

10. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामला **नीलू चोपड़ा मामले (उपरोक्त)** के कानूनी अनुपात द्वारा पूरी तरह से कवर/शामिल किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ ओ. पी. संख्या 2 द्वारा मानहानि के किसी भी स्पष्ट कार्य का कोई विशिष्ट आरोप बिल्कुल नहीं लगाया गया है।

11. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आपराधिक मामले में किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है और इसे निश्चित रूप से यांत्रिक तरीके से गति नहीं दी जा सकती है। अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है। क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को संतोषजनक साक्ष्य और अभिलेख पर अन्य

सामग्री द्वारा समर्थित शिकायत में लगाए गए विशिष्ट आरोप के आधार पर प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी।

12. अपने उपरोक्त निवेदन/प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने **जीएचसीएल (GHCL) कर्मचारी स्टॉक विकल्प न्यास बनाम इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड,** जो **(2013) 4 एस. सी. सी. 505** के रूप में रिपोर्ट किया गया और **मैसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य,** जो **ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 128** के मामले में भी रिपोर्ट किया गया, के माध्यम से उपलब्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

13. आगे तर्क देते हुए, श्री अंसुल ने प्रस्तुत किया कि मानहानि का अपराध गठित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शिकायतकर्ता के रूप में आरोप लगाया जाना चाहिए, या तो इस इरादे से या ज्ञान या विश्वास करने के कारणों से कि इस तरह के आरोप से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का केवल अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया था और ओ.पी. संख्या 2 द्वारा वर्तमान आपराधिक मामला दायर करना केवल श्री नीतीश कुमार (बिहार के मुख्यमंत्री) को खुश करने के लिए उनके संकीर्ण राजनीतिक मुद्दे को निपटाने के लिए था और इसलिए, उन्होंने बिना किसी अवसर के वर्तमान याचिकाकर्ताओं को वर्तमान आपराधिक शिकायत के माध्यम से घसीटा, जो स्थापित कानूनी सिद्धांतों के मद्देनजर समर्थित नहीं लगता है।

14. यह भी कहा गया है कि वर्तमान शिकायत दायर करने का उद्देश्य इस सत्य को दबाना है कि ओ.पी. सं. 2 ने किसी भिन्न राजनीतिक गठन का समर्थन करने के लिए 12 विधायकों के साथ बैठक नहीं की थी। उपरोक्त तथ्य याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने विश्वसनीय स्रोतों से पता लगाया गया है, जिसका समर्थन विभिन्न समाचार

संवाददाताओं द्वारा भी किया गया था। इन 12 विधायकों के साथ बैठक अब विवाद में नहीं है, जिस पर उपरोक्त समाचार में चर्चा और बहस की गई थी और, इसलिए, यह दावा कि ओ.पी. सं. 2 ने 12 विधायकों के साथ बैठक की है, आरोप नहीं माना जा सकता है, जो प्रतिष्ठा को खराब करता है या याचिकाकर्ताओं के ज्ञान में था यानी यह प्रतिष्ठा को खराब करेगा या विपक्षी पक्ष सं. 2 की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा।

15. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले के तथ्यात्मक पहलुओं से, इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं बनता है और यह **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल** के दिशानिर्देश क्रमांक (i), (iii) और (vii) द्वारा कवर किया गया है, जिसे **1992 के अनुपूरक (1) एससीसी 335 के रूप में रिपोर्ट किया गया है।** जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> "**102.** अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किए जाने से प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बनाते बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध बनाते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या अधिनियम के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।

16. श्री अंसुल द्वारा आगे तर्क देते हुए, विद्वान/अनुभवी वरिष्ठ वकील ने कहा कि अदालत के दुरुपयोग के अलावा वर्तमान कार्यवाही को जारी रखना भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सुनिश्चित और संरक्षित याचिकाकर्ताओं के अधिकार में हस्तक्षेप के बराबर है, जिसे वर्तमान में आधारहीन आपराधिक शिकायत दर्ज करके कम नहीं किया जा सकता है।

17. अपने निवेदन/प्रस्तुति के समर्थन में, श्री अंसुल ने **इंडिबली क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल सरकार** के माध्यम से उपलब्ध **(2020) 12 एस. सी. सी. 436** के रूप में रिपोर्ट किया गया, के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जहाँ पैरा 50 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

"50. अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताएँ सार्वभौमिक हैं। अनुच्छेद 19(1) में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को वे स्वतंत्रताएँ प्राप्त होंगी जिन्हें वह मान्यता देता है। राजनीतिक स्वतंत्रताएँ राज्य पर एक ऐसा क्षेत्र बनाकर

प्रतिबंधात्मक प्रभाव डालती हैं जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए, इन स्वतंत्रताओं को राज्य पर प्रतिबंधात्मक दायित्व थोपने के रूप में माना जाता है। लेकिन, राज्य पर "नकारात्मक" प्रतिबंध लगाने के अलावा ये स्वतंत्रताएँ एक सकारात्मक जनादेश भी लगाती हैं। कानून के शासन को लागू करने वाले एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में अपनी क्षमता में, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहें जिनमें ये स्वतंत्रताएँ पनपें। भाषण और अभिव्यक्ति के मुक्त प्रयोग के लिए आरक्षित स्थान में, राज्य तब नहीं देख सकता जब संगठित हित स्वतंत्रता के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। राज्य उन परिस्थितियों की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है जिनमें उन स्वतंत्रताओं का प्रयोग किया जा सकता है..."

18. अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए, श्री अंसुल ने कहा कि ओ.पी. नंबर 1 याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। वर्तमान आपराधिक शिकायत देश की पत्रकारीय आवाज़ों को दबाने और उन्हें बड़े पैमाने पर जनता के सामने सही तथ्यात्मक कथन रखने से रोकने के अलावा और कुछ नहीं है।

19. आगे तर्क देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज किए गए बयानों में यह अनिवार्य है कि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और उपस्थित अन्य गवाहों की जांच करेगा। इसलिए, गवाहों के बयान दर्ज करना मजिस्ट्रेट का दायित्व है। शिकायतकर्ता का वकील उक्त प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। इसलिए, जिस आधार पर आरोपित समन आदेश पारित किया गया है, वह पूरी तरह से निराधार है और पूरी तरह से गलत है। कानून की यह स्थिति कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के **नागनगौड़ा वीरंगौड़ा पाटिल बनाम मालतेश एच. कुलकर्णी** के मामले में

दिए गए फैसले से पुष्ट होती है, जिसे **1998 सीआरएल.एल.जे. 1707, के रूप में रिपोर्ट किया गया था। जहां माननीय खंडपीठ ने पैरा-7 में निम्नांकित रूप से दर्ज किया है:-**

> "7. इस संदर्भ में हम याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए इस तर्क को बरकरार रखते हैं कि जहां धारा में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच न्यायालय द्वारा की जाएगी, यदि यह कर्तव्य शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया जाता है तो यह धारा के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। इस तरह के कदम को एक अतिरिक्त कारण से प्रतिसंकेतित किया जाता है क्योंकि यह मुख्य परीक्षा में शिकायत को शारीरिक रूप से पुनः प्रस्तुत करेगा और इस तरह उन मामलों में न्यायालय को गुमराह करने की प्रक्रिया में योगदान देगा जहां जानबूझकर दिखावा करने का प्रयास किया गया है। यह विधायी इरादे के विपरीत होगा जो न्यायालय को शिकायत की वास्तविकता और शुद्धता की जांच और सत्यापन करने में स्वतंत्र हाथ प्रदान करने की दिशा में निर्देशित है और इसलिए इसे कोई कानूनी मंजूरी नहीं होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे फोरम पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा क्योंकि धारा में विस्तृत मुख्य परीक्षा का प्रावधान नहीं है जो न्यायालय के लिए अत्यधिक समय लेने वाली और बोझिल बात होगी, जिसे सभी सामग्री रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है, खासकर कई मामलों में जहां साक्ष्य हाथ से लिखे गए होते हैं।"

20. आगे यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की गवाही उसके वकील द्वारा दर्ज की गई थी। अंतिम पैराग्राफ में, अदालत ने अदालती सवालों के आधार पर उसका साक्ष्य दर्ज किया है, जो कानून के पूर्वोक्त स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। यह भी कहा गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता विद्वान मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है और इसलिए, सीआरपीसी की धारा 202 के अनुसार जांच करने की आवश्यकता है।

21. यह प्रस्तुत किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत उपलब्ध प्रावधानों का पालन न करना भी कानून की नज़र में संदिग्ध संज्ञान आदेश को खराब

बनाता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट भी प्रेस अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान की सराहना करने में विफल रहे हैं।

22. तर्क को सारांशित करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंसुल ने प्रस्तुत किया कि निम्नलिखित कारणों से विवादित आदेश कानून की दृष्टि में खराब है:-

(i) विवादित आदेश तर्कपूर्ण आदेश नहीं है तथा जांच के दौरान सामने आई सामग्री से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 500 तथा 120-बी के तहत अपराध का कोई मामला नहीं बनता है;

(ii) चूंकि याचिकाकर्ता संख्या 2 न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 202 का अनुपालन न करना भी विवादित संज्ञान आदेश को कानून की दृष्टि में खराब बनाता है;

(iii) यह हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के चौथे स्तंभ माने जाने वाले प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का दमन है।

23. चूंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मानहानि का कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए उपरोक्त कानूनी चर्चाओं और विशेष रूप से **भजन लाल मामले** (उपरोक्त) में तय किए गए अनुपात के मद्देनजर दिनांक 02.04.2024 के संज्ञान के आदेश को रद्द/रद्द किया जाए।

**विपरीत पक्ष सं. 2/शिकायतकर्ता की ओर से तर्क:**

24. ओ.पी. संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह ने वर्तमान याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान निरस्तीकरण याचिका केवल छह में से दो आरोपियों द्वारा दायर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दोषसिद्धि और दायित्व

से बचने के इरादे से चुनौती को विभाजित करने की एक चाल प्रतीत होती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल समन आदेश को चुनौती दी है, संज्ञान आदेश को नहीं और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने विद्वान क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान आदेश को स्वीकार कर लिया है।

25. ओ.पी. नंबर 2 की ओर से पेश विद्वान वकील ने दलील दी कि संज्ञान अपराध का न्यायिक संज्ञान लेने का कार्य है, अपराधी का नहीं। संज्ञान आदेश को चुनौती दिए बिना समन आदेश पर हमला करने की आड़ में याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर निरस्तीकरण कानून को विफल करने और आपराधिक कार्यवाही से बचने का प्रयास कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कंपनी के प्रबंधन में अपनी भूमिका और अपराध के कमीशन को भी स्वीकार किया है, जो प्रथम दृष्टया उनकी ओर से आपराधिक साजिश का सुझाव देता है। इसलिए, यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

26. प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि संज्ञान आदेश में कहा गया है कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 500 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए लिया गया था, लेकिन चूंकि उक्त धारा अस्तित्व में नहीं है, इसलिए यह एक मुद्रण संबंधी त्रुटि के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए गलत संज्ञान की दलील विचारणीय नहीं है। इसलिए, मुद्रण संबंधी त्रुटि के आधार पर याचिका को रद्द करने की कोई भी दलील न केवल अस्थिर है, बल्कि निरर्थक भी है, खासकर तब, जब सीआरपीसी की धारा 362 के तहत उपाय उपलब्ध है और इसके अलावा, यदि मामले का संतुलन शिकायतकर्ता/ओपी संख्या 2 के पक्ष में अन्यथा ठोस है, तो मुद्रण संबंधी त्रुटि के आधार पर पर्याप्त न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने **अरविंद्र कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** की कानूनी रिपोर्ट पर

भरोसा किया। जैसा कि **2023 एससीसी ऑनलाइन ऑल 1930** में बताया गया है, जहां माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा इस आधार पर किया कि संज्ञान आदेश में उल्लिखित गलत दंडात्मक प्रावधान *प्रथम दृष्टया* टाइपोग्राफिकल त्रुटि का परिणाम प्रतीत होते हैं।

27. आगे तर्क देते हुए, श्री सिंह ने कहा कि प्रारंभिक और नवजात अवस्था में आपराधिक मुकदमों को रद्द करना अच्छी तरह से स्थापित है और इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है, सिवाय इसके कि अदालतें ऐसा करने से कतराती हैं। रद्द करना घृणित है और एक संकीर्ण अपवाद है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर सुनाए गए निर्णयों की श्रृंखला से निकाला जा सकता है।

28. इन दलीलों/प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, श्री सिंह ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जैसा कि **नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य** के माध्यम से उपलब्ध है, जैसा कि **(2021) 19 एस. सी. सी. 401** में बताया गया है।

29. इस संदर्भ में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस उच्च न्यायालय ने स्वयं इस विषय पर कानून का मूल्यांकन करने के पश्चात उग्रसेन बनाम सीबीआई के मामले में दिनांक 17.07.2023 को अपने निर्णय एवं आदेश द्वारा आपराधिक विविध संख्या 14016/2013 में यह माना है कि धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय को लघु-परीक्षण नहीं करना है।

30. वि30. विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सतविंदर कौर बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) के मामले में (1999) 8 एससीसी 728** में रिपोर्ट के अनुसार माना कि "धारा 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर या शिकायत को रद्द करने के लिए, उच्च न्यायालय को पूरी तरह से

शिकायत में लगाए गए आरोपों या उसके साथ दिए गए दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ना होगा; आरोपों की सत्यता या अन्यथा की जांच करने का उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है"।

31. यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने कोई दावा नहीं किया है क्योंकि मानहानिकारक सामग्री के माध्यम से सार्वजनिक भलाई हासिल की जा सकती है। इसके अलावा, मानहानि के अपराध के अपवाद एक तथ्यात्मक बचाव होने के कारण इस स्तर पर नहीं उठाए जा सकते हैं

32. अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो **केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह,** आदि के माध्यम से उपलब्ध है, जैसा कि **2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 379** में रिपोर्ट किया गया है, जहां यह माना गया है कि "बचाव के लिए प्रस्तुत किए गए तर्कों पर परीक्षण के दौरान विचार किया जाना चाहिए और इसे रद्द करने वाली अदालत द्वारा मिनी-ट्रायल आयोजित करके मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है"।

33. अपने प्रस्तुति के समर्थन में, श्री सिंह ने **राकेश शर्मा बनाम महावीर सिंघवी** के मामले में, जैसा कि **(2008) 104 डी. आर. जे. 402** में बताया गया है, दिल्ली उच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जहाँ माननीय न्यायालय ने द० प्र. सं. की धारा 482 के तहत एक समान याचिका को खारिज करने का निर्णय लिया है/की कृपा की है, जिसमें धारा 500, 211 और 120-B आईपीसी के तहत/अंतर्गत शिकायत का संज्ञान लेने वाले परीक्षण/निचली न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 499 के अपवादों के तहत बचाव के तत्वों का सर्वोत्तम तरीके से परीक्षण के दौरान ही जांचा जा सकता है।

34. श्री सिंह ने आगे तर्क देते हुए कहा कि इस निरस्तीकरण याचिका को समवर्ती क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास सीआरपीसी की धारा 397 के तहत ही आरोपित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण उपाय उपलब्ध है।

35. इस संदर्भ में, यह बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभु चावला बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में, जैसा कि (2016) 16 एससीसी 30** में रिपोर्ट किया गया है, पुष्टि की है कि हालांकि वैकल्पिक उपाय की उपस्थिति धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति के प्रयोग के खिलाफ पूर्ण प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करेगी, लेकिन इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए क्योंकि "ऐसा नहीं है कि अधिकार क्षेत्र का अभाव है, लेकिन अंतर्निहित शक्ति को उसी कोड के तहत विशिष्ट शक्ति के लिए अलग किए गए क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए"।

36. आगे बताते हुए विद्वान वकील श्री गोपाल सिंह ने कहा कि कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व पर कानून अब और नहीं रहा। याचिकाकर्ताओं का नए चैनल के मामलों और मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन पर पूरा नियंत्रण है। याचिकाकर्ताओं ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम किया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने रेलिगेयर **फिनवेस्ट लिमिटेड बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)** के माध्यम से उपलब्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जैसा कि **(2024) 1 एससीसी 797** में रिपोर्ट किया गया है।

37. इस संदर्भ में, श्री सिंह ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया जो **शिव कुमार जटिया बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)** के माध्यम से उपलब्ध है जैसा कि **(2019) 17 एस. सी. सी. 193** में बताया गया है और

**सुनील भारती मित्तल बनाम सी. बी. आई.** के माध्यम से भी उपलब्ध है जैसा कि **(2015) 4 एस. सी. सी. 609** में बताया गया है।

38. श्री सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क कि उनके खिलाफ शिकायत विचारणीय नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए कोई भी आरोप अपुष्ट हैं और यह धारा 499 आईपीसी के दायरे की अनदेखी करते हुए किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता प्रकाशनों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और उत्तर देने वाले प्रतिवादियों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री के अंतिम लाभार्थी हैं। जैसा कि उनके स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता मामलों के शीर्ष पर हैं और जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

39. यह बताया गया है कि शिकायतकर्ता के मामले (ओ.पी. सं. 2) का पूरा आधार यह है कि शिकायतकर्ता ने किसी अन्य राजनीतिक दल का समर्थन करने के लिए 12 विधायकों के साथ बैठक नहीं की थी, बल्कि याचिकाकर्ताओं ने अपने विश्वसनीय स्रोतों से इस तथ्य का पता लगाया है। यह कथन दोनों याचिकाकर्ताओं को बाध्य करता है और *प्रथम दृष्टया* यह भी सुझाव देता है कि याचिकाकर्ता न केवल अपमानजनक सामग्री के प्रकाशन के बारे में जानते थे, बल्कि इसमें सक्रिय रूप से शामिल भी थे।

40. यह बताया गया है कि ओ. पी. नंबर 2 के कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 15.01.2024 के जवाब में स्वीकार किया कि चैनल "आजतक" एक कानूनी इकाई नहीं है और केवल एक ब्रांड नाम है, जिसका स्वामित्व और संचालन टी. वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड द्वारा किया जाता है। याचिका स्वयं सुझाव देती है कि याचिकाकर्ता सं.2 याचिकाकर्ता सं.1 के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक हैं

और, इस प्रकार, याचिकाकर्ता सं.1 के नीति और परिचालन निर्णय लेकर और इस प्रकार, संबंधित चैनल के माध्यम से प्रकाशन के लिए, याचिकाकर्ता सं.2 मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उनके कानूनी नोटिस के जवाब खुद ही यह सुझाव देता है कि मानहानिकारक सामग्री का संचार याचिकाकर्ता सं.2 के ज्ञान में था और इसे केवल उनकी सहमति से टी. वी. चैनल के माध्यम से प्रसारित किया गया था।

41. अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो **के.एम. मैथ्यू बनाम के.ए. अब्राहम एवं अन्य** के माध्यम से उपलब्ध है, जिसे **(2002) 6 एससीसी 670** के रूप में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रबंध संपादक/मुख्य संपादक/स्थानीय संपादक के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है, इस तर्क को खारिज करते हुए कि केवल मानहानिकारक प्रकाशन के संपादक को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह माना गया कि मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति प्रत्येक मामले में साक्ष्य का विषय है। रद्द करने के चरण में संकीर्ण दृष्टिकोण शिकायतकर्ता को वास्तविक अपराधी के खिलाफ अपनी शिकायत का निवारण करने के लिए किसी भी उपाय के बिना छोड़ सकता है। रद्द करने की मांग करने वाली वर्तमान रद्द करने की याचिका भी उसी श्रेणी में आती है और पूर्वोक्त स्थापित कानूनी अनुपात के आधार पर, इसे शुरू में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

42. ओ.पी. संख्या 2/शिकायतकर्ता के मामले के तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यह "प्रतिनिधि दायित्व"

का मामला नहीं है, बल्कि यह "रचनात्मक दायित्व" का मामला है, जिसका पता केवल परीक्षण के दौरान ही लगाया जा सकता है।

43. आगे तर्क देते हुए, ओ.पी. संख्या 2 के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह एक सामान्य कानून है कि प्रक्रिया जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट को केवल अपने दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, लेकिन समन जारी करने के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं करना चाहिए। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो **भूषण कुमार और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य** के माध्यम से उपलब्ध है, जैसा कि **(2012) 5 एससीसी 424** में रिपोर्ट किया गया है, जहां यह माना गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि समन आदेश एक तर्कसंगत आदेश नहीं था।

44. उपरोक्त कानूनी दलीलों की पृष्ठभूमि में, इस मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर पुनः आते हुए, श्री सिंह ने दलील दी कि याचिकाकर्ता संख्या 2 निस्संदेह कंपनी के मामलों का प्रभारी है, जो विशेष रूप से समाचारों का प्रसारण व्यवसाय कर रही है। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि वह कई व्यावसायिक गतिविधियाँ करती है। दलील दी गई कि कंपनी समाचार प्रसारण के व्यवसाय में है और इसका कार्यकारी निदेशक पूरी गतिविधि को नियंत्रित करता है क्योंकि समाचार प्रसारण कंपनी की मुख्य गतिविधि है। दलील दी गई कि यदि याचिकाकर्ता संख्या 2 की दलील स्वीकार कर ली जाती है तो वह अपनी कंपनी के किसी भी कार्य और चूक के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि शिकायतकर्ताओं में से किसी के पास यह जानने का कोई साधन नहीं होगा कि उसकी कंपनी के अन्य कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके अपराध करने में उसकी क्या भूमिका थी।

45. विद्वान वकील ने आगे कहा कि आपराधिक कानून ज्ञान, इरादे और कार्रवाई के सिद्धांत पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं ने इस बात से इनकार नहीं किया है और न ही इनकार कर सकते हैं कि मानहानिकारक समाचार जानबूझकर और जानबूझकर प्रसारित किया गया था और कंपनी/इसके निदेशक को इसकी पूरी जानकारी थी क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली है। उनके पास उपलब्ध एकमात्र उपाय मानहानि के अपराध के लिए उपलब्ध बचाव को साबित करना है जो केवल परीक्षण के दौरान ही किया जा सकता है।

46. इस संदर्भ में, यह भी कहा गया है कि आपराधिक कानून का एक और समान रूप से लाभकारी सिद्धांत गलत नुकसान और गलत लाभ का है। घटनाओं के अनुक्रम, जैसा कि वे स्वाभाविक रूप से सामने आए हैं, ने स्थापित किया है कि याचिकाकर्ताओं ने 'तथाकथित ब्रेकिंग न्यूज और उच्च टीआरपी या विज्ञापनों के लिए निश्चित रूप से गलत जानकारी प्राप्त की, जिसके कारण उन्हें गलत लाभ हुआ। परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता को आरोपी व्यक्तियों के अवैध कार्यों के कारण गलत नुकसान हुआ है, जिसके लिए उन्हें कोई पछतावा नहीं है, जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि शिकायतकर्ता प्रतिवादी को कितना नुकसान, हानि और चोट पहुंची है। यह कहा गया है कि विज्ञापन में दोष, समाचार प्रसारण के दौरान गलत तस्वीर डालना और कुछ छोटी-छोटी जानकारियों को गलत तरीके से स्क्रॉल करना, एक ही पायदान पर नहीं टिकेगा, जब एक बड़ी साजिश के लिए एक बड़े राजनीतिक प्रभाव वाले कार्य का आरोप लगाया जाता है। शिकायतकर्ता बिहार राज्य में मंत्री, सांसद, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रासंगिक समय में एक प्रमुख व्यक्ति रहा है। आरोपी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मानहानिकारक और झूठी खबर उसकी सक्रिय मिलीभगत, मिलीभगत, साजिश, जानकारी और आदेश के बिना प्रसारित की गई है।

47. विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी पत्रकारिता की स्थिति, प्रतिष्ठा और उनके द्वारा संचालित टीवी समाचार चैनल "आजतक" के बड़े दर्शक वर्ग का दुरुपयोग किया है और झूठी, मनगढ़ंत और मानहानिकारक कहानियाँ प्रकाशित और प्रसारित की हैं, जिनका शिकायतकर्ता-उत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध गंभीर प्रतिकूल राजनीतिक परिणाम हुआ है। कहानी को सनसनीखेज समाचार का रंग दिया जा रहा है, जो राजनीतिक घटनाक्रम से स्पष्ट रूप से झूठ है। अपनी चूक को स्वीकार करने (जो कि वास्तविक नहीं है) और उसके लिए पश्चाताप और क्षमाप्रार्थी होने और उसके बाद एक शुद्धिपत्र और क्षमाप्रार्थी प्रकाशित करने के बजाय, याचिकाकर्ता इसे इस काल्पनिक आधार पर उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सत्य पर आधारित है। यह बचाव रद्द करने के चरण में उपलब्ध नहीं है, बल्कि केवल परीक्षण के दौरान ही उपलब्ध है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तरदाता प्रतिवादी/ओ.पी. नंबर 2 ने अपने अपमानजनक कृत्यों के माध्यम से, अपनी दर्शकों की संख्या और टीआरपी रेटिंग (जिसे बढ़ी हुई "आंखों की रोशनी" के रूप में भी जाना जाता है) में वृद्धि की और इस प्रक्रिया में गलत तरीके से लाभ कमाया और शिकायतकर्ता प्रतिवादी/ओपी नंबर 2 को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया।

48. आगे तर्क देते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर देने वाला प्रतिवादी राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय से एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति रहा है, जिसके बारे में अभियुक्तों को जानकारी थी। वर्तमान में, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी है। अभियुक्तों/याचिकाकर्ताओं ने एक मनगढ़ंत और निंदनीय राजनीतिक प्रचार कहानी चलाई, जिसने शिकायतकर्ता के नाम, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा को उसके राजनीतिक समर्थकों और सही सोच वाले लोगों की नज़र में गिरा दिया है। अभियुक्तों के ऐसे निंदनीय और अपमानजनक कृत्य से व्यथित होकर, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने

याचिकाकर्ताओं और चार अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ मानहानि के अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की है।

49. ओ.पी. संख्या 2 के विद्वान वकील ने बताया कि यह स्वीकार करने के बावजूद कि "आजतक" एक कानूनी इकाई नहीं है और यह केवल एक ब्रांड नाम है जिसका स्वामित्व और संचालन "टी.वी. टुडे" नेटवर्क लिमिटेड द्वारा किया जाता है, याचिकाकर्ता यह दावा करके उत्तरदायित्व से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया है, इस तथ्य को सुविधाजनक रूप से छिपाते हुए कि याचिकाकर्ता संख्या 2 याचिकाकर्ता संख्या 1 के मामलों के शीर्ष पर है और मानहानिकारक प्रकाशन से होने वाले लाभों का प्रत्यक्ष लाभार्थी है। याचिका यह स्वीकार करने के बावजूद कि याचिकाकर्ता संख्या 2 "अपनी भूमिका के संबंध में नीतिगत निर्णय लेता है" इसे प्रतिनिधि दायित्व का मामला बताकर गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन में उनकी भागीदारी की सीमा की गहन जांच की आवश्यकता है, जो केवल परीक्षण के दौरान ही सामने आएगी, जहां दोनों पक्षों को विस्तृत जिरह के माध्यम से साक्ष्य की सत्यता का परीक्षण करने का लाभ मिलेगा।

50. इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि शिकायत की सत्यता और गवाहों की विश्वसनीयता परीक्षण के मामले हैं और इस स्तर पर इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि अभी तक परीक्षण भी शुरू नहीं हुआ है। शिकायत और जांच के दौरान गवाहों के बयानों के अवलोकन से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। याचिकाकर्ताओं का यह कहना कि शिकायत में प्रत्येक आरोपी की विशिष्ट भूमिका का उल्लेख नहीं है, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मानहानि का आपराधिक कृत्य सभी आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर साजिश रचकर किया

है। उनके संयुक्त और संयुक्त प्रयासों ने अपराध का गठन किया है। दलील दी गई कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर धूमिल नहीं होने दिया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब अपमान या अपमान करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19(1) के तहत प्राप्त अधिकार अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है, अन्य बातों के साथ-साथ मानहानि के संबंध में भी।

50. इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिकायत की सत्यता और गवाहों की विश्वसनीयता परीक्षण के मामले हैं और इस स्तर पर इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जहां परीक्षण अभी शुरू भी नहीं हुआ है। शिकायत और जांच के दौरान जांचे गए गवाहों के बयानों के अवलोकन से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। याचिकाकर्ताओं का यह रुख कि शिकायत प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका को स्पष्ट नहीं करती है, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मानहानि का आपराधिक कृत्य सभी आरोपियों द्वारा एक-दूसरे के साथ मिलकर साजिश रचकर किया गया है। उनके संयुक्त और संयुक्त प्रयासों ने अपराध का गठन किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर धूमिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका अर्थ अपमान या अपमान करना नहीं है। अनुच्छेद 19(1) के तहत अधिकार मानहानि के संबंध में अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

51. विद्वान वकील श्री सिंह ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जिम्मेदार पत्रकारिता के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए उत्तर देने वाले प्रतिवादी के खिलाफ मनगढ़ंत और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित की है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित कानूनी रूप से बाध्यकारी "पत्रकारिता आचरण के मानदंड,

2022" में कहा गया है कि "किसी व्यक्ति को बदनाम करने के उद्देश्य से समाचार को प्रथम दृष्टया प्रमाणित करने के लिए भी बिना किसी सामग्री के प्रकाशित करना चूक और कमीशन का कार्य है।" इसके अलावा, मानदंड गपशप/घूमती जांच से उत्पन्न रिपोर्टों के प्रकाशन के खिलाफ निर्देश देते हैं।

52. दलील समाप्त करते हुए, श्री गोपाल सिंह ने प्रस्तुत किया कि **भजन लाल मामले (सुप्रा)** का निर्णय वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य में याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची है। याचिकाकर्ताओं ने मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन और उसमें उनकी सक्रिय भागीदारी को स्वीकार किया है और इसलिए, यह दलील कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण है, पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के कारण शिकायतकर्ता को कानूनी रूप से प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई किसी भी मौद्रिक रूप से नहीं की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायत के मात्र अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (500ए गलत टाइप किया हुआ प्रतीत होता है) और 120-बी के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 02.04.2024 को जारी किया गया संज्ञान लेने का आदेश कानून की दृष्टि में बुरा नहीं है और वर्तमान निरस्तीकरण याचिका पर विचार करते समय इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

53. दिनांक 02.04.2024 के संज्ञान के आदेश का बचाव करते हुए, श्री पी.के. शाही, विद्वान महाधिवक्ता, बिहार सरकार और श्री झारखंडी उपाध्याय, विद्वान एपीपी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उठाए गए

तर्कों पर केवल परीक्षण के दौरान ही विचार किया जा सकता है और इस स्तर पर इस तरह का कोई भी विचार केवल मामले के मिनी-ट्रायल के बराबर होगा, जो कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।

**निष्कर्षः**

54. मामले की बेहतर समझ के लिए दिनांकित 02.04.2024 के विवादित संज्ञान आदेश को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो कि निम्नानुसार हैः

"कोर्ट नंबर-35

न्यायालय-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना।

शिकायत मामला संख्या-2540 (सी) 2024

02.04.2024 परिवाद की ओर से हाजरी दी गई है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्मन के बिंदु पर सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद परिवाद राजीव सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा अभियुक्तगण 1.टी. वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड, 2.इंडिया टुडे ग्रुप इंडिया टुडे, 3.श्री अरुण प्युराइट, 4.श्री अरुण पुरी, 5.चित्रा त्रिपाठी, 6.रोहित कुमार के विरुध्द भा.दं.सं. की धारा 500ए, 120(बी)(2) के अंर्तगत दर्ज किया गया है। परिवादी का शपथ पर ब्यान संक्षेप में यह है कि यह केस परिवादी टी.वी.टुडे नेटवर्क लिमिटेड आज तक और इंडिया टूडे ग्रुप इनके चेयरमैन और डायरेक्टर अरुण पुरी, चित्रा त्रिपाठी एंकर, रोहित पटना के ब्यूरों चीप के विरुध्द किये है। घटना दिनांक 29.12.2023 की है। दिनांक 29.12.2023 के बैठक में परिवादी अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और उस बैठक में अपने पद से त्याग-पत्र देकर वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार जी का पद सौंपने वाला था और यह निर्णय उनकी सहमति से और परिवादी के स्वेच्छा से लिया गया था, लेकिन टी.वी.टुडे नेटवर्क का आजतक चैनल और इंडिया

टूडे ग्रुप के सभी चैनल और विशेष कर आजतक चैनल एक झूठा, तथ्यहीन और भ्राम्य न्यूज यह चलाया गया कि परिवादी राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालु प्रसाद यादव से मिल गये हैं और परिवादी को ऑफर मिला कि परिवादी राज्य सभा तला जाएं, बिहार में मंत्री बन जाए और इसके लिए परिवादी दस-बारह विधायक की एक गुप्त बैठक की ताकि नितिश कुमार जी के स्थान पर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये सारे समाचार जो प्रकासित हुए यह तथ्यहीन थे। परिवादी और नितिश कुमार जी का रिश्ता 37 वर्ष पुराना है, जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। उनके इस समाचार से पुरे देश और प्रदेश में परिवादी के जानने वाले लोग थे उनमें एक संदेश गया और परिवादी का चेहरा खलनायक के रुप में प्रस्तुत किया गया। परिवार, समाज, वोटरों और अन्य समाज से परिवादी को फोन आया कि आप यह कैसे कर सकते हैं। परिवादी की स्थिती ऐसी थी कि जैसे परिवादी एक बहुत बुरा आदमी है और ऐसा लग रहा था कि जिसके साथ परिवादी 37 साल से रिश्ता था, उसमें गद्दारी किए। परिवादी की छवी धूमिल हो गई। घटना के दिन परिवादी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार दिल्ली में एक मीटिंग में व्यस्त थे. परिवादी वकालतन एक नोटिस भेजा और उनसे आग्रह किया कि या तो आप अपने न्यूज को सत्यापित करे और नहीं तो क्षमा मांग लिजिए। उनका जवाब आया कि हमलोग बड़े न्यूज चैनल है। परिवादी का कोई भी विधायक के साथ मीटिंग नहीं हुआ था। अपने उत्तर में न्यूज ग्रुप ने न ही सत्यापित किया और न ही क्षमा मांगा। इसलिए मजबूर होकर परिवादी ने यह मुकदमा दायर किया क्योंकि परिवादी का जनताके सामने छवी को धूमिल किया गया। पूरा समाचार परिवादी की छवी धूमिल करने के उद्देश्य से ही प्रकाशित किया गया। साक्षी संख्या 01. रामानंद मंडल, 02. सौरभ निधि का साक्ष्य अंकित कराया गया है। जिन्होंने परिवादी का समर्थन किया है।

परिवादी के परिवाद पत्र, शपथ पत्र पर ब्यान एवं जांच साक्षियों का साक्ष्य हुआ है। परिवादी के अनुसार न्यूज चैनल पर ऐसी खबर प्रकाशित की गयी तथा बार-बार प्रकाशित की गई जिससे लोगोंकी दृष्टि में उनकी छवी धूमिल हुई उनकी मान-हानि हुई। लोगों ने उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिए कि वह ऐसा क्यूं कर रहें हैं जबकि वह खबर तथ्यहीन है। परिवादी ने कोई ऐसी मिटिंग नहीं किया अपितु उक्त तिथि पर वह स्वयं मुख्यमंत्री के साथ ही थे। ऐसी परिस्थिति में परिवादी के परिवाद पत्र, शपथ पत्र पर ब्यान एवं साक्षियों का साक्ष्य के आधार पर विवाद पत्र में नामित अभियुक्तगण 1.टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड, 2.इंडिया टुडे ग्रुप इंडिया टुडे, 3. श्री अरुण प्यूराइट, 4.श्री. अरुण पुरी, 5.चित्रा त्रिपाठी, 6.रोहित कुमार के विरुध्द भा.दं.वि. की धारा 500ए, 120(बी)(2) के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या मामला पाया जाता है। उनके विरुध्द आगे की कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः परिवाद पत्र के नामित अभियुक्तगण 1.टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड, 2.इंडिया टुडे ग्रुप इंडिया टुडे, 3. श्री अरुण प्यूराइट, 4.श्री. अरुण पुरी, 5.चित्रा त्रिपाठी, 6.रोहित कुमार के अंतर्गत सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया जाता है। परिवादी दो सप्ताह के भीतर आपेक्षिकाएं दाखिल करें। कार्यालय लिपिक उसे निर्गत करें। परिवाद वाद श्री धनंजय पांडेय, न्या.दण्डा.प्र. श्रेणी के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। दिनांक 02.05.2024 को अभिलेख प्रस्तुत करे।"

55. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान निरस्तीकरण याचिका में शामिल कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 और 120-बी के तहत उपलब्ध हैं, जिन्हें कानून की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए सुविधा के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"**499. मानहानि-** जो कोई, बोले गए या पढ़े जाने के लिए अभिप्रेत शब्दों द्वारा, या संकेतों या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा, किसी व्यक्ति के संबंध में कोई अभियोग लगाता या प्रकाशित करता है, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा अभियोग उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसा कहा जाता है, सिवाय इसके कि इसमें आगे अपेक्षित मामलों में, उस व्यक्ति की मानहानि की गई है।

*स्पष्टीकरण 1.-* किसी मृत व्यक्ति पर कोई अभियोग लगाना मानहानि माना जाएगा, यदि अभियोग उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, यदि वह जीवित है, और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है।

*स्पष्टीकरण 2.-* किसी कंपनी या संघ या व्यक्तियों के समूह के संबंध में लांछन लगाना मानहानि के बराबर हो सकता है।

*स्पष्टीकरण 3.-* विकल्प के रूप में या व्यंग्यात्मक रूप में व्यक्त किया गया लांछन मानहानि के बराबर हो सकता है।

*स्पष्टीकरण 4.-* किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई लांछन तब तक नहीं कहा जाता है, जब तक कि वह लांछन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरों के अनुमान में, उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम न करे, या उसकी जाति या उसके व्यवसाय के संबंध में उसके चरित्र को कम न करे, या उस व्यक्ति की साख को कम न करे, या यह विश्वास न दिलाए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित अवस्था में है, या ऐसी अवस्था में है जिसे सामान्य रूप से अपमानजनक माना जाता है।

*उदाहरण*

(क) क कहता है- "ज़ एक ईमानदार आदमी है; उसने कभी भी ख की घड़ी नहीं चुराई"; यह विश्वास दिलाने का आशय रखता है कि ज़ ने ख की घड़ी चुराई है। यह मानहानि है, जब तक कि यह अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत न आता हो।

(ख) क से पूछा जाता है कि ख की घड़ी किसने चुराई। क, जेड की ओर इशारा करता है, ताकि यह विश्वास दिलाया जा सके कि ख की घड़ी जेड ने चुराई है। यह मानहानि है, जब तक कि यह अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत न आता हो।

(ग) क, ख की घड़ी लेकर भागते हुए जेड का चित्र बनाता है, ताकि यह विश्वास दिलाया जा सके कि ख की घड़ी जेड ने चुराई है। यह मानहानि है, जब तक कि यह अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत न आता हो।

*पहला अपवाद.*— **सत्य का आरोपण, जिसे सार्वजनिक भलाई के लिए लगाया या प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।**— किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य का आरोपण करना मानहानि नहीं है, यदि वह सार्वजनिक भलाई के लिए लगाया या प्रकाशित किया जाना चाहिए। यह सार्वजनिक भलाई के लिए है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है।

*दूसरा अपवाद.-* **लोक सेवकों का सार्वजनिक आचरण-** किसी लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में, या उसके चरित्र के संबंध में, जहां तक उसका चरित्र उस आचरण से प्रकट होता है, सद्भावपूर्वक कोई भी राय व्यक्त करना मानहानि नहीं है।

*तीसरा अपवाद.-* **किसी सार्वजनिक प्रश्न से संबंधित किसी व्यक्ति का आचरण.-** किसी सार्वजनिक प्रश्न से संबंधित किसी व्यक्ति के आचरण के

संबंध में, या उसके चरित्र के संबंध में, जहां तक उसका चरित्र उस आचरण से प्रकट होता है, सद्भावपूर्वक कोई भी राय व्यक्त करना मानहानि नहीं है।

*उदाहरण*

किसी सार्वजनिक प्रश्न पर सरकार को याचिका देने, किसी सार्वजनिक प्रश्न पर बैठक के लिए अनुरोध-पत्र पर हस्ताक्षर करने, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने या उसमें भाग लेने, किसी ऐसे समाज का गठन करने या उसमें शामिल होने जो जनता का समर्थन आमंत्रित करता है, किसी विशेष उम्मीदवार के लिए मतदान करने या प्रचार करने में, किसी भी स्थिति में ऐसे कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में, जिसमें जनता की रुचि है, जेड के आचरण के संबंध में कोई भी राय सद्भावपूर्वक व्यक्त करना मानहानि नहीं है।

*चौथा अपवाद.-* **न्यायालयों की कार्यवाही की रिपोर्ट का प्रकाशन-** न्यायालय की कार्यवाही की, या ऐसी किसी कार्यवाही के परिणाम की, पर्याप्त रूप से सत्य रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि नहीं है।

*स्पष्टीकरण.-* न्यायालय में किसी मुकदमे से पहले खुली अदालत में जांच करने वाला शांति न्यायाधीश या अन्य अधिकारी, उपरोक्त धारा के अर्थ में न्यायालय है।

*पांचवां अपवाद.-* **न्यायालय में विनिश्चय किए गए मामले के गुण-दोष अथवा संबंधित साक्षियों और अन्य लोगों का आचरण.-** न्यायालय द्वारा विनिश्चय किए गए किसी मामले, सिविल या आपराधिक, के गुण-दोष के संबंध में अथवा किसी ऐसे मामले में पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के संबंध में अथवा ऐसे व्यक्ति के चरित्र के संबंध में, जहां तक उसका चरित्र उस आचरण में प्रकट होता है, और उससे आगे नहीं, कोई भी राय सद्भावपूर्वक व्यक्त करना मानहानि नहीं है।

*उदाहरण*

(क) क कहता है- "मैं समझता हूं कि उस मुकदमे में जेड का साक्ष्य इतना विरोधाभासी है कि वह अवश्य ही मूर्ख या बेईमान होगा।" क इस अपवाद के अंतर्गत आता है यदि वह सद्भावपूर्वक कहता है, क्योंकि वह जो राय व्यक्त करता है, वह जेड के चरित्र के संबंध में है, जैसा कि वह साक्षी के रूप में जेड के आचरण में प्रकट होता है, और उससे आगे नहीं।

(ख) लेकिन यदि क कहता है- "मैं उस मुकदमे में जेड द्वारा कही गई बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह सत्यनिष्ठा से रहित व्यक्ति है"; ए इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है,जहाँ तक कि वह जो राय जेड के चरित्र के बारे में व्यक्त करता है, वह राय साक्षी के रूप में जेड के आचरण पर आधारित नहीं है।

*छठा अपवाद.*— **सार्वजनिक प्रदर्शन के गुण**— किसी प्रदर्शन के गुणों के संबंध में सद्भावपूर्वक कोई राय व्यक्त करना मानहानि नहीं है, जिसे उसके लेखक ने जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया है, या लेखक के चरित्र के संबंध में जहाँ तक उसका चरित्र ऐसे प्रदर्शन में प्रकट होता है, और इससे आगे नहीं।

*स्पष्टीकरण.*— किसी प्रदर्शन को जनता के निर्णय के लिए स्पष्ट रूप से या लेखक की ओर से ऐसे कार्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जो जनता के निर्णय के लिए ऐसे प्रस्तुतीकरण को दर्शाते हैं।

*उदाहरण*

(क) कोई व्यक्ति जो कोई पुस्तक प्रकाशित करता है, वह उस पुस्तक को जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से भाषण देता है, वह उस भाषण को जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है।

(ग) कोई अभिनेता या गायक जो सार्वजनिक मंच पर आता है, अपने अभिनय या हस्ताक्षर को जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है।

(घ) ए, जेड द्वारा प्रकाशित पुस्तक के बारे में कहता है - जेड की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है; जेड अवश्य ही एक कमज़ोर व्यक्ति होगा। जेड की पुस्तक अभद्र है; जेड अवश्य ही अशुद्ध मन वाला व्यक्ति होगा। ए इस अपवाद के अंतर्गत आता है, यदि वह यह सद्भावपूर्वक कहता है, क्योंकि वह जेड के बारे में जो राय व्यक्त करता है, वह जेड के चरित्र का सम्मान केवल उस सीमा तक करती है, जहाँ तक वह जेड की पुस्तक में दिखाई देती है, और इससे आगे नहीं।

(ई) लेकिन यदि ए कहता है - "मुझे आश्चर्य नहीं है कि जेड की पुस्तक मूर्खतापूर्ण और अभद्र है, क्योंकि वह एक कमजोर आदमी और एक स्वच्छंद व्यक्ति है"। ए इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह जेड के चरित्र के बारे में जो राय व्यक्त करता है, वह जेड की पुस्तक पर आधारित राय नहीं है।

*सातवाँ अपवाद.-* **किसी अन्य पर वैध अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गई निंदा.-** किसी अन्य पर कोई अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा, चाहे वह कानून द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य के साथ किए गए वैध अनुबंध से उत्पन्न हो, उस अन्य के आचरण पर सद्भावपूर्वक कोई निंदा करना मानहानि नहीं है, ऐसे मामलों में जिसके लिए ऐसे वैध अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के आचरण पर आधारित नहीं हैं। अधिकार से संबंधित है।

*उदाहरण*

न्यायाधीश द्वारा किसी गवाह या न्यायालय के किसी अधिकारी के आचरण की सद्भावनापूर्वक निन्दा करना; किसी विभाग का प्रमुख द्वारा अपने आदेश के अधीन काम करने वाले लोगों की सद्भावनापूर्वक निन्दा करना; माता-पिता द्वारा अन्य बच्चों की उपस्थिति में किसी बच्चे की सद्भावनापूर्वक निन्दा करना; एक विद्यालय मास्टर, जिसका अधिकार माता-पिता से प्राप्त होता है, अन्य विद्यार्थियों की उपस्थिति में किसी विद्यार्थी की सद्भावनापूर्वक निन्दा करना; स्वामी द्वारा किसी सेवक की सेवा में लापरवाही के लिए सद्भावनापूर्वक निन्दा करना; बैंकर द्वारा अपने बैंक के खजांची की ऐसे खजांची के आचरण के लिए सद्भावनापूर्वक निन्दा करना-इस अपवाद के अंतर्गत आते हैं।

*आठवाँ अपवाद.-* **प्राधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक आरोप लगाना.-** किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के विषय-वस्तु के संबंध में उस व्यक्ति पर वैध अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक आरोप लगाना मानहानि नहीं है।

*उदाहरण*

यदि ए सद्भावपूर्वक मजिस्ट्रेट के समक्ष जेड पर आरोप लगाता है; यदि A सद्भावपूर्वक जेड के स्वामी से नौकर जेड के आचरण की शिकायत करता है; यदि ए सद्भावपूर्वक जेड के पिता से जेड और बच्चे के आचरण की शिकायत करता है - तो ए इस अपवाद के अंतर्गत आता है।

*नौवां अपवाद.-* **अपने या अन्य के हितों की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया आरोप.-** किसी अन्य के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि आरोप उस व्यक्ति या किसी अन्य

व्यक्ति के हितों की सुरक्षा के लिए सद्भावपूर्वक लगाया गया हो, या सार्वजनिक भलाई के लिए लगाया गया हो।

*उदाहरण*

(क) ए, एक दुकानदार, बी से, जो उसका व्यवसाय चलाता है, कहता है- "जेड को तब तक कुछ मत बेचो जब तक वह तुम्हें तत्काल पैसे न दे, क्योंकि मुझे उसकी ईमानदारी के बारे में कोई राय नहीं है"। ए अपवाद के अंतर्गत आता है, यदि उसने अपने हितों की रक्षा के लिए सद्भावपूर्वक य पर यह अभियोग लगाया है।

(ख) क, एक मजिस्ट्रेट, अपने वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट बनाते समय, य के चरित्र पर अभियोग लगाता है। यहां, यदि अभियोग सद्भावपूर्वक तथा लोकहित के लिए लगाया गया है, तो क अपवाद के अंतर्गत आता है।

*दसवां अपवाद.*— **चेतावनी उस व्यक्ति की भलाई के लिए आशयित है जिसे दी गई है या लोकहित के लिए—** एक व्यक्ति को दूसरे के विरुद्ध सद्भावपूर्वक चेतावनी देना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि ऐसी चेतावनी उस व्यक्ति की भलाई के लिए आशयित हो जिसे दी गई है या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है या लोकहित के लिए।

"**500. मानहानि के लिए दण्ड-** जो कोई किसी अन्य की मानहानि करता है, उसे दो वर्ष तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

"**120-बी. आपराधिक षडयंत्र की सजा-**(1) जो कोई भी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षडयंत्र में पक्षकार है, जहां इस संहिता में ऐसे षडयंत्र की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया

है, उसे उसी तरह से दण्डित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे अपराध को उकसाया हो। (2) जो कोई भी पूर्वोक्त रूप से दण्डनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षडयंत्र के अलावा किसी अन्य आपराधिक षडयंत्र में पक्षकार है, उसे छह महीने से अधिक अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।"

56. इसके अलावा, समाचार आइटम को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो वर्तमान शिकायत मामले का सार है, जिसका संज्ञान पटना के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 500 (गलत तरीके से टाइप की गई 500 ए) और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए लिया था, जो वर्तमान निरस्तीकरण याचिका का विषय हैं:-

"चित्रा त्रिपाठी, सेहनवाज हुसैन, आचार्य जी और कुछ अन्य लोगों के बीच संवादः

समय अवधि 15 मिनट से 30 मिनट

शाहनवाजः- प्रधानमंत्री जनता दल का जो ऑफिस ही उसपे बड़ा सा पोस्टर लगा था हम लोगों के अलग होने के बाद की बिहार में क्या हैं देश में करेंगे और बिहार में क्या है देश में करेंगे।

चित्राः- आज भी लगे पोस्टर में लौट रही हूँ आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है उसके बाद आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा ललन सिंह को हटाने के रुख से नाराज थे नीतिश कुमार तेजस्वी को सी.एम. बनाना चाहते थे ललन सिंह नितिश ने ललन सिंह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था ओर जदयू के 12 विधायक की गुप्त मिटिंग भी हुई थी बड़ी खबर ही इस वक्त की नितिश को बिना बताये विधायकों की बैठक हुई थी ललन सिंह को तेजस्वी को सी.एम. बनाने का पूरा पूरा प्लान था और ललन सिंह को जदयू का तरफ से राज्य सभा भेजने का चर्चा थी रोहित सिंह पत्रकार ही हमारे साथ जुड चुके ही रोहित ये तो खेला करने की बड़ी तैयारी थी नितिश कुमार के खिलाफ

किसी तरह ये बात नितिश कुमार पता लग गयी और ये बदलाव हुआ है क्या जानकारी मिल रही है।

रिपोर्टरः- जी देखिए चित्रा जो हमें जानकारी मिल रही है ठीक उसी तरिके से हुआ जो आर.सी.पी. सिंह के साथ हुआ था- 8 महीने पहले आर.सी.पी. सिंह के उपर आरोप लगे कि वो पार्टी को तोड़ना चाहते थे और बीजेपी में शामिल होना चाहते थे और भनक लग गयी थी नितिश कुमार को फिर उन्होंने कार्यवाही करी और फिर सरकार से अलग हुये और एक जो जानकारी मिल रही है कि पुरे मामले में डील हुयी थी लालु प्रसाद और ललन सिंह के बीच जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा मतलब प्लान था और जो जानकारी मिल रही थी कि ललन सिंह ने प्रस्ताव रखा था नितिश कुमार के सामने की वो काफी दिन से मुख्यमंत्री ही तो मुख्यमंत्री पद तेजस्वी यादव को सौंप दिया जाये इसके लिये नितिश तैयार नहीं हुये उसके बाद प्लान बी पर काम करना शुरु किया गया औऱ ये प्लान दरअसल ये था कि ससन सिंह 10-12 विधायक जदयू के तोडेंगे और उसके बाद उनको शपथ दिलवाया जायेगा मंत्री के तौर पर क्यों कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और अगर वो सिटिंग पार्टी से निकाल देते तो उन विधायकों की अध्यक्षता नहीं रह जाते और केवल 7 विधायकों की जरुरत और थी तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए जदयू अगर हम जदयू की संख्या कम कर दे तो 115 अभी तेजस्वी यादव और एलायेन्स पार्टी +अगर।

चित्राः- ये 12 विधायक कौन कौन से थे जिन्होंने नितिश कुमार के खिलाफ जाकर मिटिंग करी थी उनके बारे में कोई जानकारी मिल पायी है क्या और ये मिटिंग कब हुई थी रोहित।

रिपोर्टरः- देखिए अभी कुछ हफ्ते पहले मिटिंग हुई थी हालांकि नामो के बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ हैं लेकिन जब ये प्लान बन रहा था उसके बाद डी हुई थी और उसके तहत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम ललन सिंह का था और उसके बदले ललम सिंह राज्य सभा आरजेडी भेज सकती था क्योंकि ललन सिंह नहीं चाहते थे कि इस बार वो लोक सभा इलेक्शन मुंगेर से लड़े क्यों कि उनको लगता है कि वो इस बाद हार सकते ही इसलिए वो सिर्फ साथ चाहते थे राज्य सभा की ओर इसी साल मनोज झा जो आरजेडी से राज्य सभा संसद ही उनका टर्म खत्म होने वाला ही तो इस बाद की कयास लगायी जा रही थी कि इस बाद मनोज झा की जगह पर

ललन सिंह को लालू यादव भेज सकते ही राज्य सभा अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो ये जो एक सुत्रों से हमें जानकारी मिल रही है तो ये पुरे के पुरे प्लान की जानकारी ही नितिश कुमार को लगी थी एक विधायक जो उस मिटिंग में शामिल था उसने जो ये प्लान लीक कर दिया और जिसके बाद नितिश कुमार एक्टीव हो गये और उसके बाद ऑपरेशन ललन पर उन्होंने काम करना शरु कर दिया।

चित्राः- नहीं रोहित ये तो देखिए ये तो पार्टी के खिलाफ नितिश के खिलाफ ये तो सबके खिलाफ बगावत हो गयी एक तरफ से अपनी ही पार्टी जिसको आज जित कर आते हो ओर दुसरी पार्टी के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर नितिश कुमार को सारी बात पता थी और पता लग गयी और उनके पास प्रमाण था ललन सिंह से खतरा था तो एक्शन क्यों नहीं लिया मतलब ललन सिंह पर एक्शन क्यों नहीं लिया ललन सिंह ने प्रस्ताव रखा कि भैया आप बन जाये अध्यक्ष पर ललन सिंह नहीं माने अध्यक्ष पद नहीं रहे पूरा स्केन क्रियेट किया गया इसकी क्या जानकारी थी नितिश कुमार को।

रिपोर्टरः- देखिये चित्रा बहुत सारी चीजे आनी रहती है अब परदे के पीछे से पूरा स्केन पता नहीं चल रहा था ललन सिंह और लालू प्रसाद की करिबिया थी वो पिछले कुछ महीनो से जो थी  जो भी पटना और बिहार में था उनको मालूम था कि लालू प्रसाद और ललन सिंह के बीच में नजदिकिया बढ़ रही थी और ये बात नितिश कुमार को नागवार गुजर रही थी और जब उनको गुप्त बैठक के बारे में जानकारी हुयी कि ललन सिंह पार्टी के खिलाफ काम कर रहे और दूसरी पार्टी बनाना चाहते थे और इस ऑपरेशन की शुरुआत की और ये दिभन टेकन थी क्योंकि लालू चाहते थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और ललन सिंह को राज्य सभा आरजेडी भेज सकती थी और यही बात नितिश कुमार को पता लग गयी और सी.पी. सिंह के साथ भी किया था और आखिर कर पार्टी से उनको साईड कर दिया है और देखिए जो तमाम नेता जदयू के साईड हो गया है।

के.सी.त्यागीः- और आरजेडी हमारी मित्र पार्टी है।

चित्राः- ये जो बड़ी बात कही गयी है उनकी और से कही गयी है अब तो बॉस खुश हो जायेंगे कि ललन सिंह तो अब तो शहनवाज जी के मन में

लड्डू फूटने लगेंगे कि एक बार फिर से भविष्य में मंत्री बनने के मौका मिल सकता है शहनवाज जी।

शहनवाजः- नहीं देखिये हम तो बहुत पहले ही मंत्री बने थे हम तो 1999 में मंत्री बन गया थे तो मंत्री पद के लिए हम लोग कहन काम करते ही हम सेवा के लिए काम ही हम तो मोदी जी के सिपाही ही हमें जो डयूटी मिलती हैं हम वो करते ही और बिहार में भी औद्योगिक मिली थी उसमें भी हम लोग विपक्ष के लोगों से और उद्योग और रोजगार में काम हो रहा था और जरुर लगा कि जहां तक बिहार के युवा के लिए सोचा था उसमें खलल आ गया मने यह कह रहा हूं चित्रा जी नितिश कुमार जी पहले नाराज होकर दिल्ली से गये कि उनको संयोजक नहीं बनाया पी.एम. फेस नहीं बनाया इन्डी एलायन्स से कुछ नहीं बने तो अध्यक्ष बना दिये देखिए यह सही है कि जदयू ही जो नितिश जी पार्टी ही जो जैसे बी.एस.पी. ही जो वो बहन की पार्टी ही अखिलेश जी की पार्टी एस.ए.पी.ए. हैं।

चित्राः- कही आप ही लोग तो सब नहीं करवा रहे है वो इतना बड़े लीडर ही ललन सिंह जी इतनी बड़ी बात तो हवा में नहीं बोलेंगे जी शहनवाज जी।

शहनवाजः- देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है हम 40 से 400 सीट जीतना चाहते है और 2025 में कमल का फूल लाया करके बी.जे.पी. का कार्यकर्ता मार्ग में जायेगा मतलब अपनी सरकार बनाने चाहते ही हमने बहुत ज्यादा देख लिया उनकी 43 सीट थी और हमारी 75 सीट थी फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया लेकिन अच्छा सिला दिया हमारे प्यार का।

चित्राः- अरे तो यह तो आर.जे.डी. वाले भी लोग कहेंगे मैं आउंगी अभिषेक जी पर उससे पहले अक्षरा जी से सुन लेते ही।

शहनवाजः- आपके दावत में नहीं खायेंगे पर ऐसा कहते है वो।

चित्राः- अच्छा मतलब पर्दे के पीछे कहते है कि हमारे 80 विधायक है फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया अच्छा प्रमोद कशन जी मानाजा रहा है ये बहुत बड़ा फेर बदल है नितिश कुमार ने जो पार्टी के अंदल किया है यह बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि देखिए हमने अगर शुरुआत की थी आपलोगों को जोड़ने की तो चलेगी तो मेरी ही अक्षरा जी।

अक्षरा जीः- देखिए चित्रा जी ये इण्डिया गठबंधन को संदेश देने वाली कोई बात नहीं है तो सारी बात ये सत्ता के लडाई की है और नितिश जी मुख्यमंत्री बने सके पीछे सर्वप्रथम बिहार की जनता का था वो लालू जी के विरोध के कारण उनको दी गई फिर एक समय ऐसा हुआ कि नितिश जी एनडीए के बहुत बड़े शशक्त और बड़े नेता के रुप में एनडीए के हिस्सेदार के रुप वो नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे अटल बाजपेयी जी के साथ रहे इनका तालमेल चल जाता फिर इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि घोर विरोध को त्यागते हुए लालू जी के साथ दिये और उनके साथ मिलकर के सरकार बनायी अब सवाल इस बात का है नितिश जी को और इनकी पार्टी को थोड़ा सा लग रहा था कि ललन जी जो है और ललन बाबु की उचैन हवा में उड़ने वाली एक विषय ये है और दूसरे विषय है कि नितिश और लालू जी जब मिले तब तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बनाने की बात जरुर हुई होगी ऐसा मुझे मालूम भी है और मैं समझता हूं और उसके बाद इण्डिया गठबंधन।

चित्राः- तो कांग्रेस पार्टी फिर तो तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ी थी तो भी वही चाहती होगी।

अक्षरा जीः- जी बिलकुल लालू जी का यही सपना है और जो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने केलिए तैयार नहीं होगा तो लालू जी उनका साथ लेने भी नहीं और देंगे भी नहीं अब सवाल ये है कि नितिश जी को राष्ट्रीय गठबंधन में इस समय इण्डिया गठबंधन बना तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी पर उनको ठेस कब लगी उनका नाम आई.एन.डी.आई. के संयोज् के रुप में और प्रधानमंत्री के रुप में उनका नाम घोषित नहीं किया जा रहा था या नहीं किया जा पा रहा तब उनको लगा कि कहीं बिहार भी छूट जाये और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी ना बन पाये हम तब ये फैसा लिया गया और ये कोई बुरी बात नहीं हैं। राजनीति में ये सब चलता है और राजनीति में ये सब चलता रहेगा। क्योंकि ये खेल ही ऐसा है लेकिन कभी-कभी घोर विरोधी गठबंधन हुये थे उसमें हैरानी का विषय है जैसे एस.पी और बी.एस.पी. मिले हैरानी हुई और ऐसा ही जैसे हमलोग शिवसेना के साथ मिले तो हैरानी हुई।

चित्राः- अरे लेकिन नितिश जी के साथ मिलने पर हैरानी नहीं होती है ना हम सभी को पता है कि शहनवाज जी भी वेलकम करने को तैयार रहते है और इधर आरजेडी वाले भी दामन पकड़कर तैयार रहते है भैया जाना नहीं है

कुछ भी हो जाये तो नितिश कुमार जी के साथ स्थिति है ना कि दोनों हाथों में लड्डू में।

अक्षरा जीः- शहनवाज हुसैन साहब के दोनों हाथ में लड्डू ही नहीं तो चित्रा जी मैनें भी वही बात कहीं और अपने शहनवाज जी के दोनों हाथों में लड्डू है।

चित्राः- कैसे।

अक्षरा जीः- अगर सरकार गिरती है तो भी लड्डू है और नितिश जी इण्डिया गठबंधन से अलग होतो है तो भी लड्डू है इण्डिया गठबंधन जितना कमजोर होगा उतना इनकी पार्टी खुश होगी अब सवाल तो यह है कि लड़ाई हमारे अंदर की है और अब बी.जे.पी कैसे दोष दे सकते है और अगर बी.जे.पी का दूर से ही फायदा हो रहा है अगर नितिश जी में और लालू जी में झगड़ा होगा तो ललन जी को हटाने का फैसला इसलिए किया गया कि ललन जी में और लालू जी में निकटता बढ़ रही थी और इसलिए झटका दिया गया तो इसको किसको फायदा होगा बी.जे.पी को फायदा होगा और इसलिए इण्डिया गठबंधन में नितिश जी को पी.एम. का उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है यहां हमलोग नहीं बना पा रहे है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि अगर हम स्टेट में भी मुख्यमंत्री रिजनल पार्टी को बनाऐंगे तो कांग्रेस क्या करेगी ये कांग्रेस की समस्या है और इसी तरह दोनों परिस्थिति में लाभ है तो वो बी.जे.पी के हाथ में है।

चित्राः- तो कड़वी बातें आप मिठास के साथ बोल ये अक्षरा जी तो शहनवाज जी असल बात तो यह है कि दोनों हालत में लड्डू बी.जे.पी के हाथ में है।

शहनवाजः- देखिए दूध का जला छाछ भी फुंक फुंक कर पीता है हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में एक मिशन पर काम कर रहे है कि लोकसभा की 40 सीट जीते है 2025 में बी.जे.पी. पुराना बहुमत से सरकार बनाये हमलोग जल्दी में नहीं है और वी आर नोट इन हर्री आज देखिए छतीसगढ़ मध्यप्रदेश राजस्थान में।

अक्षरा जीः- चित्रा जी मुझे 10 सेकेन्ड दीजिए प्लीज।

चित्राः- जी जरुर।

> शहनवाजः- लेकिन हम इन्तजार करेगें और इन्जार हमको 25 साल तक ही करना है कोई कयामत तक नहीं करना है 2025 तक का इन्तजार जरुर होगा निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा कोई रोल नहीं है ना हमें उनके कदम से फायदा होना है ना नुकसान और हम तो जानते है मोदी जी के नेतृत्व में। "

57. उक्त मानहानिकारक समाचार जो दिनांक 29.12.2023 को "आज तक" समाचार चैनल पर प्रसारित किया गया था, के संबंध में ओ.पी. सं. 2 द्वारा अपने वकीलों के माध्यम से दिनांक 05.01.2024 को याचिकाकर्ताओं को माफ़ी मांगने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने विधिवत प्राप्त कर लिया था, लेकिन, माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था, वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त कानूनी नोटिस के उत्तर के माध्यम से नहीं किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उक्त चर्चा या समाचार प्रसारित करने का उद्देश्य जनता को समय पर सूचना प्रदान करना था और यह केवल राजनीतिक पुनर्संरेखण की संभावना के बारे में चर्चा थी, जो कि ओ.पी. सं. 2 के जेडी(यू) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के मामले में किसी विशेष स्थिति में हो सकती थी, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं का किसी व्यक्ति को बदनाम करने या ओ.पी. सं. 2 की छवि को कम करने का कोई इरादा नहीं था।

58. इरादा परीक्षण का विषय है।

59. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता सं.1 यह एक "कंपनी" है जिसके तहत "आज तक" समाचार चैनल ने ओ. पी. नंबर 2 के बारे में कथित मानहानिकारक समाचार प्रसारित किया, जहां याचिकाकर्ता सं.2 स्वीकार्य रूप से याचिकाकर्ता संख्या 1 के पूरे मामलों को नियंत्रित करने वाला "प्रबंध निदेशक" है। इसलिए इन मुद्दों पर आगे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।

60. समाचार चर्चाओं से, जो "आज तक" पर 29.12.2023 पर/को प्रसारित हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए ओ. पी. नंबर 2 द्वारा मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसे उनके द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, जिसके बाद ओ. पी. नंबर 2 ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार को कोई जानकारी दिए बिना जद (यू) के 12 विधायकों के साथ एक गुप्त बैठक की। कहा जाता है कि पूरी बैठक की योजना ओ. पी. नंबर 2 के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसमें यदि ओ. पी. नंबर 2 सफल होते हैं, तो ओ. पी. नंबर 2 को उच्च सदन (राज्यसभा) के लिए नामित किया जा सकता है, क्योंकि वह बिहार के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। यह समाचार कक्ष की चर्चाओं से भी प्रतीत होता है, जो 29.12.2023 पर/को प्रसारित किया गया था कि पूरा प्रकरण तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद और ओ. पी. नंबर 2 के बीच एक सौदा था।

61. ओ.पी. संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह ने विभिन्न सह-आरोपियों की बातचीत पर प्रकाश डालते हुए दिनांक 29.12.2023 की समाचार रिपोर्ट की कुछ बातचीत पर प्रकाश डाला, जो कथित रूप से मानहानिकारक प्रकृति की है, जो प्रथम दृष्टया बिना किसी विश्वसनीय इनपुट के बहुत ही मुखर स्वर में प्रतीत होती है, ओ.पी. संख्या 2 की प्रतिष्ठा पर प्रथम दृष्टया विश्वसनीय आरोप है, जो उन्होंने 1994 में जेडी(यू) के गठन के बाद से पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में अर्जित किया है और जो निम्नानुसार है:

> (I) चित्रः- ये तो खेला करने की बड़ी तैयारी थी नितिश कुमार के खिलाफ ये बात नितिश कुमार को पता लग गयी और ये बदलाव हुआ।

(II) रोहितः- एक जो जानकारी मिल रही है कि पुरे मामले में डील हुयी थी लालू प्रसाद और ललन सिंह के बीच जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को पूरा मतलब प्लान था, जिसके बाद नितिश कुमार एक्टीव हो गये और उसके बाद ऑपरेशन ललन पर काम करना शुरु कर दिया।

(III) चित्रः- नहीं रोहित ये तो देखिए ये पार्टी के खिलाफ नितिश के खिलाफ ये तो सबके खिलाफ बगावत हो गयी।

(चित्रा और रोहित दोनों याचिकाकर्ता संख्या 1 के कर्मचारी हैं, जिसे याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा इसके प्रबंध निदेशक के रूप में नियंत्रित किया जा रहा है।)

62. उक्त समाचार ने *प्रथम दृष्टया* ओ.पी. सं. 2 की छवि धूमिल की है तथा जनता में उनकी प्रतिष्ठा और साख को ठेस पहुंचाई है। यहां तक कि कथित प्रस्ताव भी ओ.पी. सं. 2 ने श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार को दिया था कि तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रस्ताव का किसी भी तरफ से समर्थन नहीं किया गया। डील शब्द का अर्थ निश्चित रूप से यह है कि ओ.पी. सं. 2 ने अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए एक सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तथा जब यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में आई तो उन्हें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जो कि एक गलत तथ्य था, जिससे *प्रथम दृष्टया* पार्टी में तथा जनता में ओ.पी. सं. 2 की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

63. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिक रिपोर्ट के पैराग्राफ-63 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो **रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड मामले** (उपरोक्त) के माध्यम से उपलब्ध है, जो इस प्रकार है:

"**63.** उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि निगम वस्तुतः किसी भी व्यक्ति के समान स्थिति में है और उसे सामान्य कानून के साथ-साथ वैधानिक अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है, जिसमें मानसिक कारण की आवश्यकता वाले अपराध भी शामिल हैं। निगम की आपराधिक देयता तब उत्पन्न होगी जब निगम के व्यवसाय के संबंध में उसके मामलों को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा कोई अपराध किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय का नियंत्रण इतना तीव्र है कि निगम को व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के माध्यम से सोचने और कार्य करने वाला कहा जा सकता है।"

64. **शिव कुमार जटिया केस** (उपरोक्त) के पैराग्राफ-19 को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा:-

"**19.** कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व में कंपनी के निदेशकों/नियंत्रण अधिकारियों के दायित्व पर इस न्यायालय द्वारा सुनील भारती मित्तल[3] में विस्तृत रूप से विचार किया गया है। उपर्युक्त मामले में, परिस्थितियों पर विचार करते हुए जब कंपनी के मामलों के प्रभारी निदेशक/व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, जब कंपनी एक आरोपी व्यक्ति है, इस न्यायालय ने माना है, एक कॉर्पोरेट इकाई एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अपने अधिकारियों, निदेशकों, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष आदि के माध्यम से कार्य करती है। यदि ऐसी कंपनी कोई ऐसा अपराध करती है जिसमें मेन्स रीया शामिल है, तो यह आमतौर पर उस व्यक्ति की मंशा और कार्रवाई होगी जो कंपनी की ओर से कार्य करेगा। साथ ही यह देखा गया है कि यह आपराधिक न्यायशास्त्र का मुख्य सिद्धांत है कि जब तक कानून विशेष रूप से प्रावधान नहीं करता है, तब तक कोई प्रतिनिधिक दायित्व नहीं है। इस

न्यायालय ने माना है कि कंपनी की ओर से अपराध करने वाले व्यक्ति को कंपनी के साथ-साथ आरोपी बनाया जा सकता है, यदि उसके पास आपराधिक इरादे के साथ-साथ सक्रिय भूमिका के पर्याप्त सबूत हैं। इसके अलावा, यह भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति को उन मामलों में फंसाया जा सकता है जहां वैधानिक व्यवस्था स्वयं प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इस तरह के प्रावधान को शामिल करके।

65. याचिकाकर्ताओं की ओर से कानूनी नोटिस के दिनांक 15.01.2024 के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि कथित समाचार सार्वजनिक हित के लिए प्रसारित किया गया था, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस के दौरान उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अंसुल द्वारा उठाए गए मौखिक तर्कों में कहा गया था कि समाचार प्रकृति में सूचनात्मक था और सार्वजनिक हित के लिए था और सद्भावनापूर्वक प्रसारित किया गया था और इस प्रकार, यह आईपीसी की धारा 499 के तहत उपलब्ध अपवाद 1 और 9 के अंतर्गत आता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने उक्त उत्तर के माध्यम से इनकार किया कि उनका "इरादा नहीं था" कि वे ओ.पी. नंबर 2 की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएं। यह न्यायालय इस राय का है कि "इरादे से इनकार" को "माफी मांगने" के बराबर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि पूछा गया है। याचिकाकर्ता नंबर 2 द्वारा रिपोर्टिंग के ज्ञान से इनकार नहीं किया गया है, क्योंकि वह प्रबंध निदेशक हैं। "इरादे की अनुपस्थिति" का निर्णय करना, निस्संदेह परीक्षण का विषय है।

66. अपवाद साबित करने का भार भी हमेशा दावेदारों पर होता है, इस मामले में यह दोनों याचिकाकर्ताओं पर होता है, जिन्हें केवल मुकदमे के दौरान कानूनी रूप से बरी किया जा सकता है।

67. अतः उपरोक्त सभी विधिक एवं तथ्यात्मक चर्चाओं के आलोक में यह प्रतीत होता है कि वर्तमान विवादित संज्ञान आदेश दिनांक 02.04.2024 को निरस्त करने के लिए मुख्यतः दो आधार उठाए गए हैं, अर्थात् ओ.पी. संख्या 2 की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे का अभाव और दूसरा यह कि समाचार रिपोर्ट आई.पी.सी. की धारा 499 के अपवाद के अंतर्गत आती है, इस याचिका पर सुनवाई करते समय विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर केवल सुनवाई के दौरान ही निर्णय लिया जा सकता है, इसलिए इस न्यायालय को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना द्वारा पारित विवादित संज्ञान आदेश दिनांक 02.04.2024 के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने में कोई कमी नहीं दिखती।

68. **भजन लाल केस** (उपरोक्त) के माध्यम से उपलब्ध स्वर्णिम सिद्धांतों का ब्रैकेट, उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर भी याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं करता प्रतीत होता है।

69. तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

70. निर्णय की एक प्रति तुरंत विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

**(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)**

संजीत/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**